



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277059
CG-DL-E-12102026-277059

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5270]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 5270]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5482(अ).— पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की जटिलता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है:

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त सरकार कहा गया है) के रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग कहा गया है) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन केंद्रीय संगठन भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त संगठन कहा गया है) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (इसके पश्चात उक्त स्कीम के रूप में संदर्भित) को प्रशासित कर रहा है।

और, उक्त स्कीम के अधीन और इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रितों या दोनों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थियों कहा गया है) को निम्नलिखित सेवाएं (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त लाभ कहा गया है) प्रदान की जाती हैं, अर्थात्: -

- ईसीएचएस सदस्यता प्रदान करना;
- ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना;

- (iii) सेवा अस्पतालों में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना;
- (iv) ईसीएचएस सूचीबद्ध अस्पतालों में ईसीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाना; और
- (v) लाभार्थियों से संबंधित दावों के प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न अन्य कार्य।

और उक्त स्कीम के लिए व्यय समेकित निधि से उपगत किया जाता है।

और उक्त संगठन का आशय है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति की शर्त के रूप में, लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के लिए, लाभार्थी को अधिप्रमाणन से गुजरने या आधार संख्या के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा हो, या ऐसे व्यक्ति को, जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा हो।

अतः, भारत सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकी, लाभ और सेवाओं लक्षित परिधान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

- (2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

- (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त संगठन ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, या रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा, जिसमें सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

परंतु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, जिसके लिए वह पात्र है और जो प्रस्तुति के समय वैध हैं, या, यदि उक्त संगठन द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी को तैयार करने या रखरखाव से संबंधित अधिकारियों के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थात्:-

अठारह वर्ष से कम आयु के ऐसे बालकों के लिए जिसे आधार नंबर आवंटित नहीं किया गया है:

- (क) नामांकन केंद्र पर संचालक द्वारा लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की स्वीकृति, जिसमें नामांकन पहचान दस्तावेज (ईआईडी) शामिल हो; और

- (ख) लाभार्थी के अठारह वर्ष से कम आयु का बालक होने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

- (i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (अधिनियम 1969 का 18) के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि से निकाला गया है;

- (ii) भारतीय पासपोर्ट;

- (iii) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

- (iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक या विधि के साथ संघर्षरत बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

- (I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;
- (II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;
- (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (IV) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, तो उसे भारतीय वीजा के साथ-साथ विदेशी पासपोर्ट या भारत के लिए दीर्घकालिक वीजा के साथ-साथ वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ, या

(ग) लाभार्थी के माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करने के लिए, लाभार्थी की फोटो वाला निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात्:-

(i) राशन कार्ड;

(ii) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, और तहसीलदार के पद से नीचे का न हो;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vi) देखभाल और संरक्षण की अपेक्षा वाले बालक या विधि के साथ संघर्षरत बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा, या

(viii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसका कोई विधिक अभिभावक है, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो विधि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 (अधिनियम 1890 का 8), किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999

(अधिनियम 1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम 2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज जिसे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग निर्दिष्ट करे।

अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर संचालक द्वारा लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की स्वीकृति, जिसमें नामांकन पहचान दस्तावेज (ईआईडी) शामिल हो; और

(ख) लाभार्थी की फोटो वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता का फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, और तहसीलदार के पद से नीचे का न हो;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्च माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक विवरण;

(vii) सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 [सा.का.नि. 591(अ)] के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(x) देखभाल और संरक्षण की अपेक्षा वाले बालक या विधि के साथ संघर्षरत बालक के संबंध में, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा गया है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,-

(I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड,

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा, या

(xii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसका कोई विधिक अभिभावक है, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकत्व को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, जो विधि न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिभावक और आश्रित अधिनियम, 1890 (अधिनियम 1890 का 8), किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (अधिनियम 2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (अधिनियम 1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम 2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन जारी किया गया हो; या; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज जिसे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग विनिर्दिष्ट करे।

(4) उक्त भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी, खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषयवस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचनाओं की जाँच करेगा, -

(क) नामांकन आईडी (ईआईडी) को मेरे आधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करना कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के लिए, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है और प्रस्तुत जानकारी को साझा कर सकता है जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों का सुगमतापूर्वक लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा जिससे लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. यदि किसी लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधियों (जैसे चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) में से किसी के माध्यम से किया जाता है और यह प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:

(क) यदि बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण का कोई विशेष रीति सफल नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य रीति, जहाँ भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश किया जाएगा;

(ख) जिन मामलों में बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण संभव नहीं है, वहाँ आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर (ई-केवाईसी) दस्तावेज़ पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के पश्चात, उक्त स्कीम के अधीन लाभ निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर दिए जा सकते हैं: -

(i) आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात्, आधार संख्या धारक को उसकी आधार संख्या उत्पन्न होने पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात्, आधार पत्र की पासवर्ड-सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति जिसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है) युक्त आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता स्थापित होने के पश्चात;

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ (जिसे यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या उसके एमआधार ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है), जिसकी प्रामाणिकता यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित की गई हो, जो संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से किया गया हो, जैसा कि यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार है।

4. उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए,-

(क) उक्त स्कीम के अधीन लाभ किसी बालक को नहीं दिया जाएगा-

(i) प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में; या

(ii) नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, यदि उसे आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है; और

(ख) उक्त स्कीम के अधीन लाभ ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में निर्दिष्ट रीति से उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां इसके संबंध में एक अभिलेख रखा जाएगा, जिसकी उक्त विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न किया जाए, संगठन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा (जो <https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध है)।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. संख्या 18(08)/2025/डब्ल्यूई/डी (रेस-1)]

प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Ex-Servicemen Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2026

S.O. 5482(E).— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas, the Central Organisation Ex Servicemen Contributory Health Scheme (CO ECHS) (hereinafter referred to as the said organisation) under the administrative purview of the Ministry of Defence, Department of Ex-Servicemen Welfare (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department, as the case may be) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (hereinafter referred to as the said scheme).

And whereas, the following services (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Ex-Servicemen or their dependents or both (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof; namely: -

- (i) grant of ECHS membership;
- (ii) availing of ECHS facilities at ECHS Polyclinics;
- (iii) availing of ECHS facilities at Service Hospitals;
- (iv) availing of ECHS facilities at ECHS Empanelled Hospitals; and
- (v) various other functions such as processing of claims and so on, related to ECHS beneficiaries.

And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India:

And whereas, the said organisation is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, requires that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, to make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said organisation shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said organisation for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below eighteen years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment Identity Document (EID); and
- (b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below eighteen years of age, namely:—
 - (i) certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Act 18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
 - (ii) Indian passport;
 - (iii) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (iv) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (v) in respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (c) any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—

- (i) ration card;
- (ii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (iii) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (iv) Indian passport;
- (v) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vi) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (vii) In respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (viii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (Act 8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (Act 2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (Act 44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act 49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (ix) any other document as the said Department of Ex-Servicemen Welfare may specify.

For beneficiaries aged eighteen years or above to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment Identity Document (EID); and
- (b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) ration card;

- (iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (iv) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (v) Indian passport;
- (vi) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
- (viii) disability certificate issued by a notified medical authority under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017[G.S.R. 591(E)], or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
- (ix) driving licence issued in India:
- (x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015(Act 2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (xi) in respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890(Act 8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015(Act 2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (Act 44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act 49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xiii) Any other document as the said Department of Ex-Servicemen Welfare may specify.

(4) An officer designated by the said Department of Ex-Servicemen Welfare in this behalf, shall check in respect of the documents presented or the information, evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID(EID) on my Aadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
 - (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
 - (a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
 - (b) in cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India (UIDAI) on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline Electronic Know Your Customer(e-KYC) document, as the case may be, be given on the basis of any of the following: -
 - (i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps;
 - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.
4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—
 - (a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—
 - (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
 - (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and
 - (b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
 - (c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the said department.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged eighteen years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the organisation shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 18(08)/2025/WE/D (Res-I)]

PRAVIN AGRAWAL, Jt. Secy.